



**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जयपुर ग्रामीण)**  
(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रकरण संख्या:- 170/2005 जी.सी.एम.एस नं० 2005/00034

लक्ष्मीदेवी पत्नी सुवालाल चन्देल जाति खटीक, निवासी ग्राम बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर  
दौराने दावा फौत)।

- 1/1 प्रेमदेवी पुत्री स्व० सुवालाल
  - 1/2 रामप्रसाद पुत्र स्व० सुवालाल
  - 1/3 प्रभाती उर्फ छोटी पुत्री स्व० सुवालाल
  - 1/4 हनुमान सहाय पुत्र स्व० सुवालाल
  - 1/5 शम्भूदयाल पुत्र स्व० सुवालाल
  - 1/6 कौशल्य देवी पुत्री स्व० सुवालाल
- समस्त जातियान खटिक निवासीयान ग्राम बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

--:वादीगण:-

बनाम्  
दिनेश आयु 26 वर्ष पुत्र रामजीलाल  
डालचन्द आयु 22 वर्ष पुत्र रामजीलाल  
पत्नी रामजीलाल  
स्त जाति रैगर निवासी बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।  
उपपंजीयक बस्सी जिला जयपुर राज०।  
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर राज०।

--:प्रतिवादीगण:-

**दावा अन्तर्गत धारा 53, 188**

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

थत :-श्री राजेश कुमार शर्मा, एड० वादी  
श्री सुधीर शर्मा, एड० प्रतिवादी संख्या 1 व 2

पर्चा डिक्री

दिनांक 05/12/2024

दावा वादी तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा आराजी खाता संख्या 1038 खसरा नम्बर 1382 व 0.5600 है, 1388 रकबा 0.6300 हैक्टेयर स्थित ग्राम बस्सी पटवार हल्का बस्सी भू-अभिलेख निरीक्षक बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर राजस्थान मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट तहसीलदार बस्सी रिपोर्ट दिनांक 5.2024 के अनुसार डिक्री किया जाता है। आराजी विवादित का पक्षकारान में निम्न प्रकार विभाजन किया ग है।

स.	नाम खोतदार	खसरा संख्या	रकबा (हैक्टेयर)
	डालचन्द, दिनेश पिता रामजीलाल जाति रैगर सा.देह।	1382	0.56
		1388 / 1	0.0350
		कुल किता 2	कुल रकबा 0.5950
	प्रेमदेवी, कौशल्य देवी, छोटीदेवी पुत्रियान सुवालाल, रामप्रसाद, शम्भूदयाल, हनुमान सहाय पिता सुवालाल जाति खटिक सा.देह।	1388 / 2	0.5950
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.5950

उक्तानुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्से की आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक कराने के अधिकारी है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण को बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं मद-रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। नक्शा जात दिनांक 06.05.2024 निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 29/11/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।



(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी बस्सी  
जयपुर ग्रामीण